

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

हजांभी वंश, बनाम बंश देवी वंश.

किस्म मुकदमा :- 88/88 ATA, 131 LPA प्रकरण संख्या 85 सन् :- 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.7.18	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियके नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 28.8.18 को पेश हो।</p> <p>28.8.18</p> <p>अधिवक्ता वादीगण के लिये किम कि प्रकरण के तलब के सम्बन्ध में जमा है अतः, वे वादपत्रों को जमा करके वादपत्र पेश कर सकते हैं। वादपत्रों के सम्बन्ध में रिक्वेस्ट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत पत्रावली जमा शुभ हो कर वादपत्र वाद हो व वादपत्र पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)</p>	<p>5801-02 18-7-18</p> <p>Mohit Prasad me</p>